

## प्रेस नोट

### थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत

आज दिनाँक 10.10.2020 को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित व 15000 रुपये के ईनामी 01 अभियुक्त राजेश पुत्र वासुदेव उर्फ नरेश निवासी नकटापुर मुरादाबाद थाना बरखेडा हाल निवासी राजीव कालौनी जागनलाल गंगवार का मकान थाना सुनगढी जिला पीलीभीत उम्र 22 वर्ष संबन्धित मु0अ0स0 302/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

थाना सुनगढी पीलीभीत मे पंजीकृत मु0अ0स0 302/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट 1. राजेश पुत्र वासुदेव उर्फ नरेश निवासी नकटापुर मुरादाबाद थाना बरखेडा हाल निवासी राजीव कालौनी जागनलाल गंगवार का मकान थाना सुनगढी जिला पीलीभीत मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहा था। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15000 रुपये का ईनाम घोषित था, जिनको आज दिनाँक 10.10.2020 को समय करीब 02.00 बजे प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढी व चौकी प्रभारी कस्बा उ0नि0 अजीत कुमार , का0 1338 कौशलेन्द्र सिंह . का0 1353 सतीश कुमार के साथ मण्डी समिति पीलीभीत के सामने से गिरफ्तार किया गया है। जिनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

1. राजेश पुत्र वासुदेव उर्फ नरेश निवासी नकटापुर मुरादाबाद थाना बरखेडा हाल निवासी राजीव कालौनी जागनलाल गंगवार का मकान थाना सुनगढी जिला पीलीभीत

1.मु0अ0सं 262/2020 धारा 60(2) अबकारी अधि0 थाना सुनगढी जिला पीलीभीत

2.मु0अ0सं0 302/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सुनगढी जिला पीलीभीत

